जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली—

प्रेस विज्ञप्ति **29.09.2025**

थाना कांधला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अम्बेहटा में नाबालिग लड़की की हत्या करने के मामले में हत्याभियुक्त पिता गिरफ्तार व बाल अपचारी भाई पुलिस अभिरक्षा मे, निशांदेही पर आलाकत्ल अवैध तमंचा व नाल में फंसा खोखा कारतूस बरामदः-

दिनाँक 28.09.2025 को समय करीब 14.30 बजे डायल 112 पर थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अम्बेहटा में पिता द्वारा अपनी पुत्री की हत्या करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना कांधला पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लिया गया। पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कैराना श्री श्याम सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फील्ड् यूनिट को मौके पर बुलाकर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कराये गये। थाना कांधला पुलिस द्वारा मृतका का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। घटना का संज्ञान लेकर थाना कांधला पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 28.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अम्बेहटा में नाबालिग लड़की की हत्या करने के मामले में हत्याभियुक्त पिता को गिरफ्तार व बाल अपचारी भाई को पुलिस अभिरक्षा में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। हत्याभियुक्त पिता व बाल अपचारी भाई की निशांदेही पर आलाकत्ल अवैध तमंचा व नाल में फंसा खोखा कारतूस बरामद किया गया है। थाना कांधला पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त जुल्फान नें पूछताछ पर बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री किसी लड़के से फोन पर बात करती थी। हमारे काफी समझाने व मना करने पर भी वह नही मानी। दिनाँक 28.09.2025 को समय करीब 14.30 बजे इसी बात को लेकर मैं व मेरा पुत्र बहाने से लड़की को छत पर ले गये मेरे लड़के नें लड़की को पकड़ा और मैने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जुल्फान पुत्र जहूर हसन निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तारी का विवरणः-

1.आलाकत्ल एक अवैध तमंचा व नाल में फंसा खोखा कारतूस।

तवाली काँधला
9454404071
जनपद–शामली
उत्तर प्रदेश पुलिस

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग से छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने व जहरीला पदार्थ पिलाने से नाबालिग की मृत्यु हो जाने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा एवं 36,000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।</u>

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त आकाश पुत्र सोमपाल, निवासी मोहल्ला सुन्दरनगर, ग्राम भड़ी चौसाना, थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म किया गया था तथा जहरीला पदार्थ पिलाने से नाबालिग की मृत्यु हो गई थी। घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 293/2023 धारा 342/354/376(3)/305 भादवि व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.09.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट शामली द्वारा अभियुक्त आकाश को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 3/4(2) पोक्सो अधिनियम में 20 वर्ष कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास धारा 305 भादवि में 10 वर्ष कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 354 भादवि में 05 वर्ष कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, धारा 342 भादवि में 01 वर्ष कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.आकाश पुत्र सोमपाल निवासी मौहल्ला सुन्दरनगर ग्राम भड़ी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करके 02 मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई सजा व कुल 3,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>

1.वर्ष 2024 में अभियुक्त विजय पुत्र श्यामलाल निवासी डेरा भगीरथ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 491/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 29.09.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना से अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2023 में अभियुक्त राजपाल उर्फ राजेश निवासी गोंदर थाना निसिंग जनपद करनाल हरियाणा के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 693/2023 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 29.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>